ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश सं0– 179/16–17

पारो देवी बनाम् अर्जुन यादव

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रक्रिया आवेदिका पारो देवी, पति–स्व0 फनटुस यादव, सा0–गढ़ी, थाना–हनवारा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–बाजेकित्ता नं0–482 एवं 483 के जमाबंदी नं0–02, दाग नं0–8, 15, 24, 27, 12 एवं मौजा–बाघाकोल, जमाबंदी नं0–14 के दाग नं0–20, 72, 95, 107 से विपक्षी को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् विपक्षी को उच्छेद करने हेतु प्रारंभ किया गया है।

आवेदिका द्वारा वाद दायर करने के पश्चात् लगातार दिनांक–21.12.2016 से अबक 30 तिथि तक वाद में अनुपस्थित चले आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वाद दायर करने के बाद आवेदिका का वाद से अभिरूचि नहीं रह गई है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदिका द्वारा चलाया गया वाद विपक्षी पर चलने योग्य नहीं है। गांव के असामाजिक तत्वों के कहने पर आवेदिका द्वारा यह वाद चलाया गया है। मौजा–बाजेकित्ता नं0–482 एवं 483 के जमाबंदी नं0–02 एवं मौजा–बाघाकोल, जमाबंदी नं0–14 के वंशावली में नहीं आती है। आवेदिका विवादित भूमि के जमाबंदी रैयत का भगन पतोहु है। अंत में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता ने आवेदिका के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदिका के आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

04.12.18

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

04.12.18

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen
4/12/18